

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर  
शिक्षक शिक्षा विभाग - 4

क्रमांक :- रासाशैअप्रसं.-उदय/वि-9/प्र-2/SIQE-RMSA/15 दिनांक :-20.05.2015

शासन सचिव महोदय (मा.शिक्षा) एवं  
आयुक्त महोदय, राज. मा. शि. परिषद  
जयपुर (राज.)

विषय :- SIQE प्रोजेक्ट अन्तर्गत गठित राज्य अकादमिक समूह की प्रथम बैठक दिनांक  
19.05.2015 के कार्यवाही विवरण के क्रम में।

प्रसंग :- रासाशिप/जय/SIQE/फा-60703/2015/1380/दि.15.05.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत निवेदन है कि SIQE प्रोजेक्ट अन्तर्गत गठित राज्य  
अकादमिक समूह की प्रथम बैठक दिनांक 19.05.2015 को एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर में आयोजित की गई।  
बैठक में हुई चर्चा एवं प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार बैठक कार्यवाही विवरण श्रीमान को अवलोकनार्थ  
प्रेषित है।

With kind regards

विनीत

अध्यक्ष, राज्य अकादमिक समूह (SIQE)  
एवं निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी.  
उदयपुर

क्रमांक :- रासाशैअप्रसउदय/वि-9/प्र-2/फा-SIQE-RMSA/ दिनांक 20.05.2015

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, (मा.शि.) निदेशालय बीकानेर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, (प्रा.शि.) निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, आयुक्त महोदय रासाशिप जयपुर।
4. उपनिदेशक SIQE रा.मा.शि. परिषद जयपुर।
5. यूनीसेफ जयपुर।
6. निदेशक बोध शिक्षा समिति जयपुर।
7. डाईट बगड़ी नगर/उदयपुर।

विनीत

अध्यक्ष, राज्य अकादमिक समूह (SIQE)  
एवं निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी.  
उदयपुर

## राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

शिक्षाक्रम एवं मूल्यांकन विभाग

स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन प्रोजेक्ट अन्तर्गत गठित

राज्य अकादमिक समूह बैठक कार्यवाही विवरण

(दिनांक : 19.05.2015)

राज्य में संचालित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन के उद्देश्य से "स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन प्रोजेक्ट" राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु गठित राज्य अकादमिक समूह की प्रथम बैठक दिनांक 19/05/2015 को एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर में आयोजित की गई। राज्य अकादमिक समूह की इस प्रथम बैठक में राज्य सरकार द्वारा कमेटी को आवंटित कार्यों, भूमिका एवं उत्तरदायित्व को विस्तार पूर्वक सभी के साथ साझा किया गया। बैठक में सलग्न सूची अनुसार कमेटी सदस्य एवं अन्य विशेष आमन्त्रित सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में हुई चर्चा अनुसार, प्रोजेक्ट संबंधित निम्नलिखित निर्णय एवं सुझाव प्रस्ताव तैयार किए गए हैं -

| क्र.सं. | कार्यक्रम विवरण एवं निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उत्तरदायी संस्था | समय सीमा                       | दि.वि. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| 1.      | <p>1.1 शिक्षक प्रशिक्षण - सीसीईई संबंधित शिक्षकों के प्रशिक्षण ग्रीष्मावकाश में ही अनिवार्यतः आयोजित किया जाने है अतः 257 ब्लॉक के प्रशिक्षण की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई।</p> <p>1.2 154 सीसीईई ब्लॉक के प्रशिक्षण हेतु एस. आई.ई.आर.टी. द्वारा समस्त डाइट्स को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिसकी प्रति बैठक में सभी को उपलब्ध करवाई गई। समन्वित विद्यालयों के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि एडीपीसी रमसा शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु डाइट एवं एसएसए से समन्वयन करें।</p> | रा.मा.शि.प्र.    | प्रशिक्षण अवधि 18 मई से 24 जून |        |
| 2.      | <p>2.1 नॉन सीसीईई ब्लॉक : शिक्षक प्रशिक्षण 103 ब्लॉक के शिक्षक प्रशिक्षण हेतु एस.आई.ई.आर.टी. द्वारा कार्ययोजना व टाइम लाइन बैठक में प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत योजना अनुसार केआरपी प्रशिक्षण की पृथक से आवश्यकता नहीं है। एस. आई.ई.आर.टी. द्वारा प्रति विषय चार-चार केआरपी जिलों के सहयोगार्थ प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। एमटी के संदर्भ में आवश्यकता का आकलन करते</p>                                                                                                                                | डाइट             |                                |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|    | हुए एस.आई.ई.आर.टी. द्वारा समस्त डाइट्स को पत्र लिख प्रत्येक नॉन-सीसीई ब्लॉक के 3-3 विषयवार अतिरिक्त एमटी आमन्त्रित कर प्रशिक्षित करने हेतु दिनांक 13.05.2015 को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पत्र की प्रति सभी को उपलब्ध करवायी गई। तदनुसार डाइट्स ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। बैठक में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि एक बेच एमटी का और तैयार कर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रा.मा.शि.प्र.<br>डाइट                                                                             | 1 से 8<br>जून 2015                                                    |  |
| 3. | <p>शिक्षक-प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित तीन चरण यथा 1 से 8 जून, 9 से 16 जून तथा 17 से 24 जून पर विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया कि -</p> <p>3.1 SIQE प्रोजेक्ट अन्तर्गत गुणवत्ता के संबंध में समझौता नहीं किया जा सकता है। अतः प्रशिक्षित एमटी की सुनिश्चितता एवं प्रशिक्षण में सीसीई सामग्री की उपलब्धता को पूर्व में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रशिक्षण तैयारी हेतु 1 से 8 जून की अवधि निर्धारित की जाए तथा शिक्षक प्रशिक्षण दो चरण यथा 9 से 16 जून तथा 17 से 24 जून के मध्य ही आयोजित किए जाए। यहाँ आवश्यकतानुसार शिविर संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है।</p> <p>3.2 103 ब्लॉक के शिक्षकों की विषयवार सूची संबंधित एडीपीसी रमसा द्वारा तैयार करवाई जा कर उनकी प्रशिक्षण में सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए इस हेतु संबंधित एडीपीसी को रा.मा.शि.प्र. द्वारा निर्देश किया जाए।</p> <p>3.3 प्रशिक्षण में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के आदेश रमसा द्वारा संबंधित एडीपीसी के माध्यम से जारी किए जाने उपयुक्त होंगे।</p> <p>3.4 सभी डाइट में बीएसटीसी की परीक्षा अवधि 12 जून से 30 जून के मध्य निर्धारित है एवं कुछ डाइट्स के पास स्टॉफ भी बहुत कम है ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणों के आयोजन व मॉनिटरिंग की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अतः निर्णय लिया गया कि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा 19 जिलों की डाइट्स (जहाँ पूरे जिले में सीसीई संचालित नहीं है) के सहयोगार्थ जि.शि.अ.मा.शि. को प्रशिक्षण अवधि में 5 व्याख्याता/प्र.अ. को प्रतिनियुक्त करने हेतु पत्र जारी किया जाना उपयुक्त होगा। ताकि प्रशिक्षण गुणवत्ता सुनिश्चित की जा</p> | डाइट<br><br>रा.मा.शि.प्र.<br><br>रा.मा.शि.प्र.<br><br>निदेशालय मा.<br>शिक्षा<br><br>रा.मा.शि.प्र. | 9 से 16<br>जून तथा<br>17 से 24<br><br>26 मई<br>2015<br><br>27 मई 2015 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                     |                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | <p>सकेगी।</p> <p>3.5 समन्वित विद्यालयों के शिक्षकों को बेहतर तैयारी के लिए एडिशनल मटेरियल देना होगा क्योंकि मॉड्यूल एक ही प्रकार के हैं अतः इस संबंध में निर्णय लिया गया की बोध शिक्षा समिति तीन चार पेज का सीसीई संबंधित मेटर एवं SIQE संबंधित नोट तैयार कर 24 मई तक रा.मा.शि.प्र. को एवं एक प्रति एस.आई.ई.आर.टी. को प्रेषित करे।</p> <p>3.6 यदि शिक्षकों के प्रशिक्षण में किसी प्रकार की ओर खरीज रह जाती है तो उसे विषयगत कार्यशालाओं में पूरा किया जाए।</p> <p>3.7 103 ब्लॉक के शिक्षक प्रशिक्षण हेतु टाईमलाईन एवं निर्देश तैयार किये जाकर आरएमएसए को शीघ्र भिजवाया जाये।</p> | <p>बीधरिमा समिति</p> <p>डाइट</p> <p>एसआईईआरटी</p>                       | <p>24 मई 2015</p> <p>24 मई 2015</p> |                                                      |
| 4. | <p>4.1 सीसीई सामग्री यथा शिक्षक डायरी, विद्यार्थी वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा सतत एवं व्यापक आकलन पंजिका तैयार की जा चुकी है इसके साथ शिक्षकों के सहयोगार्थ पठन सामग्री भी एस.आई.ई.आर.टी द्वारा तैयार की जा रही है इसे शीघ्र तैयार कर रमसा एवं एसएसए को भिजवाई जाए ताकि प्रशिक्षण में शिक्षकों को दी जा सके।</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | एसआईईआरटी                                                               | 25 मई 2015                          |                                                      |
| 5. | <p>5.1 सीसीई सामग्री के संदर्भ में चर्चा से ज्ञात हुआ कि दिनांक 5.5.15 की मीटिंग में दिए गए निर्देशों के पूर्व ही उक्त सामग्री में आंशिक संशोधन उपायुक्त सीसीई रा.मा.शि.प्र. के पत्र के अनुसार किया गया है। वहीं संशोधित सामग्री केआरपी मॉड्यूल में एवं प्रशिक्षण (केआरपी) में भी शेयर की जा चुकी है। राज्य में एकरूपता रखने एवं समय सीमा बहुत कम होने से इस सत्र के लिए यही सामग्री उपयोग में ली जानी उपयुक्त होगी।</p>                                                                                                                                                         | -                                                                       |                                     | के.आर.पी. प्रशिक्षण 1 मई से प्रारंभ किये जा चुके थे। |
| 6. | <p>6.1 वित्तीय एवं बजट संबंधी डाइट को प्रशिक्षण आयोजन के प्रशासनिक आदेश एवं प्रशिक्षण मद में से बजट उपयोग के निर्देश निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी किए जाने औचित्यपूर्ण है। अतः निर्णय लिया गया कि निदेशालय को इस आशय का पत्र रा.मा.शि.प्र. द्वारा लिखा जाना उपयुक्त होगा।</p> <p>6.2 डाइट प्रतिनिधि बगडो नगर एवं उदयपुर द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण मद में 3 लाख का बजट ही प्राप्त होता है जो कि समस्त प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु पर्याप्त नहीं होगा अतः निदेशालय से</p>                                                                                               | <p>रा.मा.शि.प्र.</p> <p>निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा एवं रा.मा.शि.प्र.</p> | 24 से 25 मई तक                      |                                                      |

|                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|
| इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देशों की आवश्यकता होगी। |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|

जैसा कि दिनांक : 05.05.15 की मीटिंग में निर्णय लिया उसी प्रकार समस्त वित्तीय आदेश एवं निर्देश-निदेशालय मा.शि./प्रा.शि. एवं रा.मा.शि.प. द्वारा जारी किए किये जायेंगे।

इसके साथ ही बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

*क्रिमी*

अध्यक्ष राज्य अकादमिक समूह (SIQE) एवं  
निदेशक, रा.रा.शै.अ.प्र.संस्थान, उदयपुर

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव शासन सचिव, मा.शि., राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. निजी सहायक, आयुक्त, राप्राशिप जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रा.मा.शि.प. जयपुर।
7. उपशासन सचिव, शिक्षा ग्रुप - 2, राजस्थान सरकार जयपुर।
8. उपायुक्त क्वालिटी एवं प्रशिक्षण, राप्राशिप जयपुर।
9. यूनिसेफ, जयपुर
10. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।
11. उपनिदेशक, (नोडल प्रभारी, रामाशिप), निदेशालय, मा.शि. राजस्थान, बीकानेर।
12. उपनिदेशक, सीसीई रा.प्रा.शि.प. जयपुर।
13. जि.शि.अ., मा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला।
14. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप समस्त जिला।
15. कार्यालय प्रति।

*क्रिमी*

अध्यक्ष राज्य अकादमिक समूह (SIQE) एवं  
निदेशक, रा.रा.शै.अ.प्र.संस्थान, उदयपुर

उ प रि स् थ ि त रा ज्य अ का द म ि क स मू ह स द स्य  
ए व वि श ा ष ा आ म ं त्र ि त स द स्य स ू च ि

| क्र. सं. | नाम                                   | सदस्य विवरण          | पदस्थापन स्थान                                    |
|----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | श्रीमती विनीता बोहरा                  | अध्यक्ष              | निदेशक, एसआईआईआरटी                                |
| 2        | श्री डॉ. गोविन्द सिंह                 | प्रतिनिधि सदस्य सचिव | रामाशिप, जयपुर                                    |
| 3        | श्रीमती शिखा शर्मा <del>श्रीमती</del> | प्रतिनिधि सदस्य सचिव | रामाशिप, जयपुर                                    |
| 4        | श्रीमती सुलगना रोय                    | सदस्य                | शिक्षा विशेषज्ञ यूनिसेफ जयपुर                     |
| 5        | श्रीमती दिव्या                        | प्रतिनिधि सदस्य      | प्रतिनिधि बोध शिक्षा समिति                        |
| 6        | श्रीमती सुशीला नागोरी                 | प्रतिनिधि सदस्य      | उपप्रधानाचार्य डाईट उदयपुर                        |
| 7        | श्री बसन्त कुमार                      | प्रतिनिधि सदस्य      | उपप्रधानाचार्य डाईट<br>बगडी नगर                   |
| 8        | श्री जितेन्द्र शर्मा                  | विशेष आमंत्रित सदस्य | शिक्षा अधिकारी यूनिसेफ जयपुर                      |
| 9        | श्रीमती सुनीता चावला                  | विशेष आमंत्रित सदस्य | नोडल अधिकारी एसआईक्यूई माध्यमिक<br>शिक्षा बीकानेर |
| 10       | साशा प्रियो                           | विशेष आमंत्रित सदस्य | यूनिसेफ जयपुर                                     |
| 11       | श्री मोहम्मद ईकबाल शेख                | विशेष आमंत्रित सदस्य | एडीपीसी रमसा                                      |
| 12       | श्री प्रदीप पानेरी                    | विशेष आमंत्रित सदस्य | विभागाध्यक्ष एसआईआरटी उदयपुर                      |
| 13       | श्रीमती वन्दना गलून्डीया              | विशेष आमंत्रित सदस्य | सीसीई प्रभारी एसआईआरटी                            |
| 14       | डॉ. अमृता दाधीच                       | विशेष आमंत्रित सदस्य | नोडल अधिकारी एसआईक्यूई<br>एसआईआरटी उदयपुर         |
| 15       | श्री रवि राज दयाल                     | विशेष आमंत्रित सदस्य | यूनिसेफ जयपुर                                     |
|          |                                       |                      |                                                   |

**STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL RESEARCH AND  
TRAINING, UDAIPUR**

**CURRICULUM AND EVALUATION DEPARTMENT**

**SIQE PROJECT RELATED STATE ACADEMIC GROUP MEETING, 19 MAY 2015**

TIME: 2 PM, VENUE: SAMITI KAKSH, SIERT

**AGENDA-**

- Update on the CCE material (made available to SSA, RMSA)
- Update on teacher training calendar of the 154 blocks
- Discussion on plan, time table, guide line of non CCE (103) blocks and finalization
- Discussion on Guidelines for DIET and its finalization
- Discussions around the planning necessary for organizing training for 257 blocks
- Roles and responsibilities of partners in the training
- Chalking out a road map for capacity enhancement of Key resource persons up to teachers
- Discussion on TOT module with its components of training with quality
- Recommendations from the core committee to steering committee of SIQE for ensuring quality in trainings and programme implementation.